

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/116141/MRT/MEERUT/2335/CFO

दिनांक : 29-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स VIDYA SANSKAR ACADEMY पता KHASRA NO 512 NAIDU RAOD PHALWADA, NAIDU RAOD, MEERUT तहसील - MAWANA प्लॉट एरिया 880.68 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1155.42 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

| ब्लॉक/टावर            | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेंट की संख्या | ऊँचाई     |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| VIDYA SANSKAR ACADEMY | 3                                 | 0                 | 10.60 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स VIDYA SANSKAR ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 22-05-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री KULDEEP SAINI E-Mail ID : kuldeepsn372@gmail.com Mobile No. : 9897074539 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रसंगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 26-05-2024 से 26-05-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स VIDYA SANSKAR ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स VIDYA SANSKAR ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाणपत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : अग्निशमन अधिकारी की स्थलीय भौतिक निरीक्षण आख्या के आधार पर यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है 1-एजेन्सी से भवनों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण जनवरी एवं जुलाई माह में कराकर कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें 2-प्रस्तुत मानचित्र में उल्लेखित भवन के अतिरिक्त निर्माण हेतु अलग से स्वीकृति ली जाये 3-NBC-2016/ भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार अग्निशमन उपकरण हमेशा कार्यशील दशा में रखें 4-ढाचागत सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा अन्य विधिक प्रावधान विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी/प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार ही रखा जाना वांछनीय होगा। कभी भी सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-05-2024  
स्थान : MEERUT



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SANTOSH KUMAR RAI

F22C585172120F3EA70F31DBACD3985B1170490E

26-05-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.